Form No:3633

Office of the District Basic Education Officer

BAREILLY

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **St Thomas School, INDJAGIR VIKAS CHHETRA-NAWABGANJ** is permanently recognized for Primary(class 1 to 5). The Recognition number alloted to St Thomas School is **023.** The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	**28-03-2022**(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	Old
4.School Type	Pre-Primary School and Primary School
5.Recognition No.	023

DATE:- 28-03-2022

PLACE:- BAREILLY

District Basic Education Officer

Signature valid

Digitally signed by [illegible]
Date: 2022.03.28 18:49:49
Reason: For Digital Signature
Location: BAREILLY

Note :This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in

Signed using www.Signer.Digital WebLib

Scanned by Scanner Go

Form No 9958

Office of the District Basic Education Officer

BAREILLY

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that St Thomas School ,Indjagir Nawabganj Bareilly is permanently recognized for Upper Primary(class 6 to 8).The Recognition number alloted to St Thomas School is BAR0920233626.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	15-01-2025(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	Old
4.School Type	Upper Primary School(6 to 8)
5.Recognition No.	BAR0920233626

DATE:- 15-01-2025

PLACE:- BAREILLY

District Basic Education Officer

Signature valid

Digitally signed by [illegible]
Date: 2025.01.15 17:08:49
Reason: For Digital Signature
Location: BAREILLY

Note This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in

Signed using www.Signer.Digital WebLib

Scanned by Scanner Go

कार्यालयः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली।

पत्रांक: व0स0–3 / मान्यता / 17866-73 / 2021–22 दिनॉक: 28 / 03 / 2022

प्रबन्धक,
सेंट थामस स्कूल,(अंग्रेजी माध्यम)
ईद जागीर, वि0क्षे0 नवाबगंज–बरेली।

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं **सेंट थामस स्कूल, ईद जागीर वि0क्षे0 नवाबगंज–बरेली** को मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक– 25.03.2022 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में ऑनलाइन मान्यता पत्रक में अंकित तिथि से **कक्षा छः से कक्षा आठ तक (अंग्रेजी माध्यम)** के लिए मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन है:–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं हैं और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठ के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक प्रथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता--पिता या सरक्षक को किसी स्कीनिग प्रकिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित प्राविधान सुनिश्चित करेगा:–

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्याधीन नही किया जाएगा।
(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकाथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
(vii) अध्यापन अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखना। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल   ––
कुल निर्मित क्षेत्र   ––

Scanned by Scanner Go

कार्यालयः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली।

पत्रांक:व0स0/अंग्रेजी मा0/प्रा0मान्यता/17874-81 /2021-22 दिनॉक 28/03/2021

प्रबन्धक,
सेन्ट थॉमस स्कूल ईद जागीर,
विकास क्षेत्र–नबावगंज–बरेली।

विषयः–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए स्थायी मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं **सेन्ट थॉमस स्कूल ईद जागीर, विकास क्षेत्र–नबावगंज–बरेली** को दिनॉक 28–03–2022 से **कक्षा एक से कक्षा–पॉच तक (अंग्रेजी माध्यम)** के लिए औपबन्धित **स्थायी मान्यता** प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन हैः–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमे किसी भी रूप मे कक्षा आठ के पश्चात मान्यता/संबधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध–1) एव धारा 12(1)(ग) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबन्ध–2) के उपबन्धो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक मे (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा मे), उस कक्षा मे बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा–3 मे निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक प्रथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्याधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित प्राविधान सुनिश्चित करेगा–

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय मे उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा मे फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्याधीन नही किया जाएगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकाथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापको की भर्तो अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापन अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यो का पालन करता है।

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों मे नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठयकम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखना। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाए निम्नानुसार है–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल --
कुल निर्मित क्षेत्र --
कीडा स्थल का क्षेत्रफल --

Scanned by Scanner Go